

राजस्थान सरकार,  
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक प.3(212)नविवि / 3 / 2011

जयपुर, दिनांक: **6 SEP 2013**

आदेश

राजस्थान नगर सुधार (नगरीय भूमि निष्पदान) नियम, 1974 के नियम 31 एवं राजस्थान नगर पालिका (नगरीय भूमि निष्पदान) नियम, 1974 के नियम 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा निम्नांकित प्रकरणों में शिथिलता प्रदान करते हुए भवन निर्माण अवधि बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान करती है :—

1. राजस्थान नगर सुधार (नगरीय भूमि निष्पदान) नियम, 1974 के नियम 14(ए) के अन्तर्गत नीलामी द्वारा विक्रय किये गये भूखण्डों पर निर्धारित 10 वर्ष की अवधि में भवन निर्माण नहीं करने के कारण निरस्त भूखण्डों की भवन निर्माण अवधि को दिनांक 30.09.2013 तक बढ़ाकर निर्धारित राशि वसूल कर प्रकरण नियमित किया जावे।
2. राजस्थान नगर सुधार (नगरीय भूमि निष्पदान) नियम, 1974 के नियम 17(6)(बी) के अन्तर्गत तथा राजस्थान नगर पालिका (नगरीय भूमि निष्पदान) नियम, 1974 के नियम 17(6)(सी) के अन्तर्गत भूखण्ड आवंटन के पश्चात् भवन निर्माण हेतु निर्धारित भवन निर्माण अवधि को दिनांक 30.09.2013 तक बढ़ाकर निर्धारित राशि वसूल कर प्रकरण नियमित किया जावे।
3. भूखण्डों के स्वतः निरस्त होने की दिनांक के निर्धारण के लिए नीलामी से क्रय किये गये भूखण्ड एवं आवंटित भूखण्ड दोनों ही पर भवन निर्माण हेतु निर्धारित अवधि की गणना भूखण्ड का कब्जा सुपुर्द करने की दिनांक अथवा योजना के जिस सैक्टर में आवंटित भूखण्ड/नीलामी में क्रय किया गया भूखण्ड स्थित है उसमें सड़क, पेयजल एवं विद्युत वितरण व्यवस्था सम्बन्धी विकास कार्य कराने की दिनांक में से जो भी बाद की दिनांक है, को माना जाना उचित होगा। उक्त दिनांक के पश्चात् निर्धारित अवधि में भूखण्ड पर निर्माण नहीं करने की स्थिति में भूखण्ड स्वतः निरस्त माना जायेगा।

उक्त आदेश तुरन्त प्रवृत्त होगा किन्तु पूर्व में निस्तारित प्रकरणों को पुनः नहीं खोला जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(गुरदयाल सिंह संधु)

अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, माननीय संसदीय सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
6. आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. समस्त जिला कलक्टर..... (राजस्थान)।
8. संयुक्त शासन सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय), नगरीय विकास विभाग।
9. आयुक्त/सचिव, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
10. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर पर समस्त स्थानीय निकायों को सूचित करावें।
11. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान।
12. अध्यक्ष/सचिव, नगर सुधार न्यास.....(समस्त)।
13. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. रक्षित पत्रावली।

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव—तृतीय